Order Sheet [Contd] Case No60/17 B.A. Cr.P.C.

	Case No60/17 B.A Cr.P.C		
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary	
3-2-17	पीठासीन अधिकारी महोदय के अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे		
3 2 17	समक्ष पेश ।		
	आवेदक / आरोपी अमरसिंह द्वारा श्री के0पी0राठोर		
	अधिवक्ता ।		
	जमानत पर आपत्तीकर्ता देवेन्द्र उर्फ चंचल की ओर से श्री		
	हृदेश शुक्ला अधिवक्ता ।		
	शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।		
	पुलिस थाना गोहद के अप०कं० 374/16 धारा		
	452,323,294,506,34 भा०द०वि० की केश डायरी मय प्रतिवेदन एवं		
	न्यायालय श्री ए०के०गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के		
	न्यायालय का प्र०कं० ४० / १७ इ०फो० प्राप्त हुआ।		
	आवेदक / आरोपींगण की ओर से पेश आवेदनपत्र		
	अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 में बताया गया है कि यह उनका		
	प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र हे इसके अतिरिक्त अन्य कोई		
	जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य		
	न्यायालय में लिम्बत होना बताया गया है।		
	आवेदक / आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र में निवेदन		
	किया गया है कि आवेदक वार्ड कं08 बाबाकपूर की गली गोहद के		
	स्थाई निवासी होकर संभ्रात नागरिक हैं उसके द्वारा किसी प्रकार		
	का कोई अपराध पुलिस थाना गोहद की सीमांन्तर्गत नहीं किया		
	गया है। फरियादी ने पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी		
	है जिस कारण वह निरोध में हैं । आवेदक के घर में कोई पुरूष		
	देखरेख के लिये नहीं है।पुलिस गोहद ने अनुसंधान पूर्णकर		
	अभियोगपत्र न्यायालय में पेश कर दिया है। वह जमानत की सभी		
	शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित		
	जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया है ।		
	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया ।		
	जमानत पर आपत्तीकर्ता देवेन्द्र उर्फ चंचल ने आपत्ती पेश		
	कर निवेदन किया कि वर्तमान आरोपी एवं आरोपी के पिता द्वारा		
	दिनांक 23–12–16 को रात्रि में 8:30 बजे फरियादी के घर में ६		
	ाुसकर फरियादी की पत्नी को गालियां दी महिलाओं कोभयभीत		

किया जो कि मारपीट करने के नीयत से घर के अंदर घुसे थे फरियादी की पत्नी चिल्लायी तो फरियादी के पिता को ढूंसा मारकर मुंह का दांत तोड़ दिया तथा जबड़े में चोटआई । आरोपीगण आदतन अपराधी हें और फरियादी के परिवार को मौहल्ले में नहीं रहने दे रहें हैं और शराब पीकर प्रतिदिन असामाजिक तत्वों को एकत्रित करके दरवाजे पर जूआ खिलाते हैं । फरियादी को गंभीर उपहित कारित कर उसका दांत तोड़िदया है।ऐसी दशा में जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्राप्त अभिलेख एवं केश डायरी का अवलोकन कियागया । पुलिस थाना गोहद ने फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर कि उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी को बुरी बुरी गालियां दीं और उसके पिता के दूंसा मारा जिससे उसके जबड़े में चोटआयी और दांत टूट गया तथा उसकी आरोपी रामनिवास, सत्तू उर्फसतेन्द्र व अमरिसंह ने लाठियों से मारपीटकी और जान से मारने की धमकी दी जिस पर से

अप०कं० 374 धारा 452,323,294,506,34 भा०द०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

जमानत आवेदन पर पेश आपत्ती के जवाब में आवेदकगण अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आवेदकगण के विरूद्ध कभी कोईअपराध किसी थाने में दर्जनहीं हुआ है। फरियादी ने बनावटी आधारों पर झूठी रिपोर्टदर्जकरायी है।भा0द0सं0 की धारा 447 में जिन 6 सेक्सन का वर्णन किया गया है उनके मुताबिक प्रथम दृष्टया 459 भा0द0वि0 नहीं बन रही है।आवेदक सीधा साधा संम्रान्त है वह अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा । किसी प्रकार की चोट फरियादी पक्ष को नहीं पहुंचाई गयी है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । वर्तमान आवेदकगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में घर के अंदर घुसकर गाली गलोच करना व मारपीटकरने के संबंध में स्पष्टआक्षेप लगाया गया है। जहां तक आवेदक अधिवक्ता का तर्क कि प्रथम दृष्टया मामला 459 भा0द0वि0 का मामला नहीं बनता यह साक्ष्य का विषय है। फरियादी पक्ष के मेडिकल रिपोर्ट में भी उन्हें चोटआना प्रकट होता है। यद्यपि प्रकरण में अभियोगपत्र पेश किया जा चुका है ।किन्तु प्रकरण के तथ्यों,परिस्थितियों और प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये जो कि घर के अंदर घुसकर महिला को गाली गलोच किया गया है और मारपीट की गयी है को देखते हुये आवेदक / आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये । परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।
ए०एस०जे०गोहद